न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
62/2017/प्रा.पत्र/2017	30.08.2017	13.09.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री मनोज कुमार जैन पुत्र नाथूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ममता मिष्ठान भण्डार कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 4 कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

2– मैसर्स ममता मिष्ठान भण्डार कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3–श्री दिनेश भार्गव पुत्र रामस्वरूप भार्गव प्रोपरायटर मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 19 नागरिक नगर एयरपोर्ट के पास मोरानी मोटर्स के पीछे टोक रोड जयपुर राज0

4– मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 19 नागरिक नगर एयरपोर्ट के पास मोरानी मोटर्स के पीछे टोक रोड जयपुर राज0

5–श्री गोर्वधन लाल पुत्र गेंदालाल प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज 66 लक्ष्मीनारायणपुरी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 निवासी प्लॉट नं. 106 डाक बंगला के पीछे का आवास वार्ड नं. 10 लालसोट जिला दौसा राज0

6– मैसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज 66 लक्ष्मीनारायणपुरी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 13.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.04.2017 को समय 3.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स ममता मिष्ठान भण्डार कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री मनोज कुमार जैन पुत्र नाथूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ममता मिष्ठान भण्डार कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 4 कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत ऑल लाईन आवेदन करना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)** जिसके बैच नं. एस 09 व पैकिंग दिनांक मार्च/2017 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री मनोज कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मनोज कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

959

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 2–2 किलोग्राम के 3 नग फ्रीजर मे पैक्ड अवस्था मे **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)** रखे हुये मे से एक सील्ड पैक को खोलकर उसमे से 1200 ग्राम बाट मापक से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री मनोज कुमार जैन को रू0 132/–अक्षरे एक सो बत्तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)** 1200 ग्राम के 4 भाग 300–300 ग्राम कर चार साफ व सूखे कॉच के चोडे मुँह के जार मे साफ व सूखी स्टील चम्मच से भर एंव प्रत्येक जार मे 24–24 बूँदे डालकर प्रत्येक जार को एयर टाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1620 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1620 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. मनोज कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री मनोज कुमार जैन ने मौके पर **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)**बतोर वारन्टी मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 19 नागरिक नगर एयरपोर्ट के पास मोरानी मोटर्स के पीछे टोंक रोड जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 618 दिनांक 18.04.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 19 नागरिक नगर एयरपोर्ट के पास मोरानी मोटर्स के पीछे टोंक रोड जयपुर राज0 ने मैसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज 66 लक्ष्मीनारायणपुरी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 35 दिनांक 17.04.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/2238 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/313/एक्ट/2017/313 दिनांक 01.06.2017 अनुसार मनोज कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) / **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) /**अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)/ **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट सुरभि शाही गुलाब(Frozen Desert Medium Fat Surbhi Shahi Gulab)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) / **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 अप्रार्थी श्री मनोज कुमार जैन पुत्र नाथूलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ममता मिष्ठान भण्डार कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 4 कचहरी चौक नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री दिनेश भार्गव पुत्र रामस्वरूप भार्गव प्रोपरायटर मैसर्स आर.एस. एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 19 नागरिक नगर एयरपोर्ट के पास मोरानी मोटर्स के पीछे टोक रोड जयपुर राज0पर शास्ति 4,000 (अक्षरे चार हजार रू0) अप्रार्थी श्री गोर्वधन लाल पुत्र गेंदालाल प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज 66 लक्ष्मीनारायणपुरी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर राज0 निवासी प्लॉट नं. 106 डाक बंगला के पीछे का आवास वार्ड नं. 10 लालसोट जिला दौसा राज0 पर शास्ति 8,000 (अक्षरे आठ हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner